

# राज्य निर्वाचन आयोग

उत्तराखण्ड



सत्यमेव जयते

## राज्य निर्वाचन आयोग

संख्या:-21 / रा०नि०आ०अनु०-३ / 612 / 2005

देहरादूनः दिनांक 09 अप्रैल, 2010

### अधिसूचना

उत्तराखण्ड जिला योजना समिति अधिनियम-2007 की धारा-8 के अधीन राज्य निर्वाचन आयोग को प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड जिला योजना समिति नियमावली-2010 के नियम-2(ट) के अनुसार मैं, बिपिन चन्द्र चन्दोला, राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तराखण्ड, समस्त जिला मजिस्ट्रेटों को अपने जनपद की जिला योजना समिति के निर्वाचन हेतु एतदद्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी (जिला योजना समिति) नियुक्त करता हूँ।

जिला निर्वाचन अधिकारी (जिला योजना समिति) राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के अंदीन रहते हुए जिला योजना समिति के निर्वाचन के संचालन से सम्बन्धित समस्त कृत्यों का सम्पादन करेंगे।

(बिपिन चन्द्र चन्दोला)

राज्य निर्वाचन आयुक्त।

संख्या-21 / रा०नि०आ०अनु०-३ / 612 / 2005 तददिनांक

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. समस्त जिलाधिकारी/ जिला निर्वाचन अधिकारी(जिला योजना समिति), उत्तराखण्ड।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तराखण्ड।
3. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. प्रमुख सचिव, मार्ग मुख्य मंत्री, उत्तराखण्ड।
6. प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
8. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, पंचायती राज विभाग, उत्तराखण्ड।
10. समस्त सचिव(जि०यो०स०) / मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. समस्त प्रभारी अधिकारी, पंचायती चुनावालय, उत्तराखण्ड।
12. समस्त संयुक्त सचिव(जि०यो०स०) / जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी, उत्तराखण्ड।
13. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को इस आशय के साथ कि वे कृपया इस अधिसूचना को राजकीय असाधरण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4, खण्ड "ख" में दिनांक 18 मार्च, 2008 को प्रकाशित कराकर 25 प्रतियां आयोग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
14. निदेशक, दूरदर्शन/ आकाशवाणी केन्द्र, देहरादून/ नजीमाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया इसे अपने संचार माध्यमों से प्रसारित करा दें।
15. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तराखण को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह कृपया समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें तथा आकाशवाणी/ दूरदर्शन केन्द्र को प्रसारण हेतु भेज दें।

क्रमशः.....2

612-Jila Yojana Samiti/60

निर्वाचन भवन, ग्राम लाडपुर

मसूरी वाईपास, रिंग रोड, देहरादून (उत्तराखण्ड)

दूरभाष / 2670457, 2670998

टैलीफैक्स : 2670920, 2678945

//2//

24. सूचनाधिकारी/सूचना सहायक/सूचना सहायक, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड को इस आशय के साथ प्रेषित कि इसे समर्त जिलों के समाचार पत्रों, दूरदर्शन/आकाशवाणी केन्द्रों से सम्यक् रूप से प्रकाशित एवं प्रसारित कराने की व्यवस्था करें।
25. आयोग के समर्त अधिकारी/अनुभाग।
26. गार्ड फाइल अनुभाग-3

*अगस्त १५/२०१०*  
(बिपिन चन्द्र चन्द्रला)  
राज्य निर्वाचन आयुक्त।